

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-584 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

(१)

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री प्रीति तिवारी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-फर्रुखाबाद से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त रथानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, अमेठी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त रथानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि रथानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

1
23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख रटाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजरव परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर/अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 6— जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री प्रीति तिवारी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री प्रीति तिवारी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, अमेठी।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

1
23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

७

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-585 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सौरभ यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-बांदा से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, पीलीभीत के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

२३/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/बरेली मण्डल, बरेली।
- ६— जिलाधिकारी, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि श्री सौरभ यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री सौरभ यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, पीलीभीत।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

(3)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-586 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री हरिशंकर लाल, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-हमीरपुर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 6— जिलाधिकारी, हमीरपुर को इस आशय से प्रेषित कि श्री हरिशंकर लाल, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री हरिशंकर लाल, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

(9)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-587 / दो-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री विपिन कुमार द्विवेदी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—अलीगढ़ से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, अयोध्या के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त रथानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि रथानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—
- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
 - 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
 - 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
 - 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 5— आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़/अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
 - 6— जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि श्री विपिन कुमार द्विवेदी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
 - 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री विपिन कुमार द्विवेदी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 - 8— जिलाधिकारी, अयोध्या।
 - 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
 - 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
 - 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
 - 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
 - 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
4
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

(5)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या—588 / दो—३—२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अंशुमान सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—गोरखपुर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, अयोध्या के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

मदन सिंह गर्वाल
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 6— जिलाधिकारी, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि श्री अंशुमान सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अंशुमान सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, अयोध्या।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

(6)

उत्तर प्रदेश शासन
 नियुक्ति अनुभाग-3
 संख्या-589 / दो-३-२०२२
 लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री दिव्या सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-मेरठ से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, आगरा के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/6/2022
 (मदन सिंह गर्वाल)
 विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/आगरा मण्डल, आगरा।
- 6— जिलाधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री दिव्या सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री दिव्या सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, आगरा।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
 23/6/2022
 (मदन सिंह गर्वाल)
 विशेष सचिव।

(7)

उत्तर प्रदेश शासन
 नियुक्ति अनुभाग-3
 संख्या—589 / दो—३—२०२२
 लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री पूनम गौतम, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—कानुपर नगर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, कानुपर देहात के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/6/2022
 (मदन सिंह गव्याल)
 विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, कानुपर मण्डल, कानुपर।
- 6— जिलाधिकारी, कानुपर नगर को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री पूनम गौतम, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री पूनम गौतम, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, कानुपर देहात।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

23/6/2022
 (मदन सिंह गव्याल)
 विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या—५९० / दो—३—२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अभय सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-भदोही से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, आगरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

१
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर/आगरा मण्डल, आगरा।
- ६— जिलाधिकारी, भदोही को इस आशय से प्रेषित कि श्री अभय सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अभय सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, आगरा।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या—५९२ / दो—३—२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तत्कालिक प्रभाव से श्री विक्रम सिंह राघव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-बिजनौर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, इटावा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

४
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद/कानुपर मण्डल, कानपुर।
- ६— जिलाधिकारी, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि श्री विक्रम सिंह राघव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री विक्रम सिंह राघव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, इटावा।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या—५९३ / दो—३—२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री प्रियंका कुमारी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—मथुरा से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

↑
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा/मेरठ मण्डल, मेरठ।
- ६— जिलाधिकारी, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री प्रियंका कुमारी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री प्रियंका कुमारी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

↑ आज्ञा से,
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या—५९४ / दो—३—२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से कार्तिकेय सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—रायबरेली से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

१३१६)१०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
 - २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
 - ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
 - ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 - ५— आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
 - ६— जिलाधिकारी, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि कार्तिकेय सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
 - ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली कार्तिकेय सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 - ८— जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
 - ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
 - १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
 - ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
 - १२— विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
 - १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
१३१६)१०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-595 / दो-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सिद्धार्थ चौधरी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-चन्दौली से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, मथुरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी/आगरा मण्डल, आगरा।
- 6— जिलाधिकारी, चन्दौली को इस आशय से प्रेषित कि श्री सिद्धार्थ चौधरी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री सिद्धार्थ चौधरी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, मथुरा।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-596 / दो-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तत्कालिक प्रभाव से श्री विवेक राजपूत, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-एटा से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/6/2022 ✓
(मदन सिंह गव्याल)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़/आगरा मण्डल, आगरा।
- 6— जिलाधिकारी, एटा को इस आशय से प्रेषित कि श्री विवेक राजपूत, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री विवेक राजपूत, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
23/6/2022 ✓
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या—597 / दो—3—2022
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अजेन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—पीलीभीत से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त रथानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, फतेहपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त रथानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि रथानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली/प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
- 6— जिलाधिकारी, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि श्री अजेन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अजेन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, फतेहपुर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-598 / दो-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री आकाश कुमार, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-वाराणसी से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, गाजीपुर के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
- 6— जिलाधिकारी, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि श्री आकाश कुमार, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री आकाश कुमार, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या—599 / दो—३—२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अंकित कुमार, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—गाजीपुर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, जौनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गर्वाल)
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
- 6— जिलाधिकारी, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि श्री अंकित कुमार, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अंकित कुमार, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, जौनपुर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

(मदन सिंह गर्वाल)
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या-६०० / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री शिवम सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-बलरामपुर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, गोरखपुर के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- ६— जिलाधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि श्री शिवम सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री शिवम सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-601 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सिद्धार्थ पाठक, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-चित्रकूट से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, गोरखपुर के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- 6— जिलाधिकारी, चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि श्री सिद्धार्थ पाठक, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री सिद्धार्थ पाठक, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बैबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-602 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री कुंवर सचिन सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-फर्लखाबाद से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, गोरखपुर के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

+
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, कानुपर मण्डल, कानुपर/गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- 6— जिलाधिकारी, फर्लखाबाद को इस आशय से प्रेषित कि श्री कुंवर सचिन सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री कुंवर सचिन सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-603 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री कुमार सत्यम जीत, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-जौनपुर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, इटावा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी/कानुपर मण्डल, कानुपर।
- 6— जिलाधिकारी, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि श्री कुमार सत्यम जीत, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री कुमार सत्यम जीत, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, इटावा।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या-६०४ / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री हर्षिता तिवारी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-मऊ से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, गाजीपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त रथानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि रथानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़/वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
- ६— जिलाधिकारी, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री हर्षिता तिवारी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री हर्षिता तिवारी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-605 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री कुणाल गौरव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-देवरिया से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, जौनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

।
23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
- 6— जिलाधिकारी, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि श्री कुणाल गौरव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री कुणाल गौरव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, जौनपुर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-607 / दो-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सुनील कुमार भारती, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-अम्बेडकर नगर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, जौनपुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

1 जून 2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या/वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
- 6— जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को इस आशय से प्रेषित कि श्री सुनील कुमार भारती, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री सुनील कुमार भारती, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, जौनपुर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
1 जून 2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

२७

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या-६०८ / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री शिखा शुक्ला, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-गाजियाबाद से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, पीलीभीत के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

।
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्व्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/बरेली मण्डल, बरेली।
- ६— जिलाधिकारी, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री शिखा शुक्ला, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री शिखा शुक्ला, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, पीलीभीत।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्व्याल)
विशेष सचिव।

२५

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-609 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अखिलेश सिंह यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-संतकबीर नगर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, मऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

33/6/2022 ✓
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती/आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- 6— जिलाधिकारी, संतकबीर नगर को इस आशय से प्रेषित कि श्री अखिलेश सिंह यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अखिलेश सिंह यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, मऊ।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
33/6/2022
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

(26)

उत्तर प्रदेश शासन
 नियुक्ति अनुभाग-3
 संख्या-610 / दो-३-२०२२
 लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-वाराणसी से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

13/6/2022
 (मदन सिंह गव्याल)
 विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी/प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
- 6— जिलाधिकारी, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
 13/6/2022
 (मदन सिंह गव्याल)
 विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-611 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अभिषेक कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-कौशाम्बी से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
- 6— जिलाधिकारी, कौशाम्बी को इस आशय से प्रेषित कि श्री अभिषेक कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अभिषेक कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, प्रयागराज।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या—६१२ / दो—३—२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री गणेश कुमार कनौजिया, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—मेरठ से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, प्रयागराज के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

↑
(२३/६)८०७२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
- ६— जिलाधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि श्री गणेश कुमार कनौजिया, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री गणेश कुमार कनौजिया, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, प्रयागराज।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

↑
(२३/६)८०७२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या—६१३ / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अविनाश सिंह यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-सिद्धार्थ नगर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, प्रयागराज़ के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

१
२३।६।२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित क्रो आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, बर्ती मण्डल, बर्ती/प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज़।
- ६— जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि श्री अविनाश सिंह यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अविनाश सिंह यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, प्रयागराज़।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
१
२३।६।२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

(30)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-616 / दो-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री आदेश सिंह सागर, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—मैनपुरी से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

✓ २३।६।२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
- 6— जिलाधिकारी, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि श्री आदेश सिंह सागर, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री आदेश सिंह सागर, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

✓ २३।६।२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-617 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री कुणाल, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-अम्बेडकर नगर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

↑
२३।६।२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, बरस्ती मण्डल, बरस्ती/अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 6— जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को इस आशय से प्रेषित कि श्री कुणाल, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री कुणाल, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

↑
२३।६।२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

(32)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-618 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री ऋषभ पुण्डीर, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-सहारनपुर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त रथानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, अलीगढ़ के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त रथानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि रथानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
- 6— जिलाधिकारी, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि श्री ऋषभ पुण्डीर, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री ऋषभ पुण्डीर, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, अलीगढ़।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बैबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

23/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-619 / दो-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री राखी वर्मा, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-सिद्धार्थ नगर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, सीतापुर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, बरस्ती मण्डल, बरस्ती/लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 6— जिलाधिकारी, सिद्धार्थ नगर को इस आशय से प्रेषित कि श्री राखी वर्मा, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री राखी वर्मा, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, सीतापुर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आङ्गा से,

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

39

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-620 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सत्येन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-फिरोजाबाद से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, मैनपुरी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
 - 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
 - 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 5— आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
 - 6— जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि श्री सत्येन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
 - 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री सत्येन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 - 8— जिलाधिकारी, मैनपुरी।
 - 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
 - 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
 - 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
 - 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
 - 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-621 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री विकास यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-उन्नाव से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, बांदा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

↑
23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
- 6— जिलाधिकारी, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित कि श्री विकास यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री विकास यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, बांदा।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

↑
23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-622/दो-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

(36)

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-मेरठ से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, उन्नाव के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

1
१३१६१२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 6— जिलाधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, उन्नाव।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
१३१६१२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

(37)

उत्तर प्रदेश शासन
 नियुक्ति अनुभाग-3
 संख्या-624 / दो-3-2022
 लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री उदित नारायण सेंगर, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-बदायूं से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, उन्नाव के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/6/2022
 (मदन सिंह गव्याल)
 विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली/लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 6— जिलाधिकारी, बदायूं को इस आशय से प्रेषित कि श्री उदित नारायण सेंगर, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री उदित नारायण सेंगर, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, उन्नाव।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

*आज्ञा से,
 23/6/2022
 (मदन सिंह गव्याल)
 विशेष सचिव।*

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या—६२५ / दो—३—२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अजीत प्रताप सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—जालौन से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, रायबरेली के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी/लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- ६— जिलाधिकारी, जालौन को इस आशय से प्रेषित कि श्री अजीत प्रताप सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अजीत प्रताप सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, रायबरेली।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

३९

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या-६२६ / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तत्कालिक प्रभाव से सुश्री रितू रानी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-अमेठी से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, विजनौर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

१२३/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या/मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- ६— जिलाधिकारी, अमेठी को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री रितू रानी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री रितू रानी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, विजनौर।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
१२३/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-627 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री युगान्तर त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-कानपुर देहात से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, मैनपुरी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, कानुपर मण्डल, कानुपर/आगरा मण्डल, आगरा।
- 6— जिलाधिकारी, कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित कि श्री युगान्तर त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री युगान्तर त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, मैनपुरी।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

अज्ञा से,
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

४१

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या-६२८ / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री विकल्प, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-कन्नौज से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

२३/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
 - २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
 - ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
 - ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 - ५— आयुक्त, कानुपर मण्डल, कानुपर/आगरा मण्डल, आगरा।
 - ६— जिलाधिकारी, कन्नौज को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री विकल्प, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
 - ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री विकल्प, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 - ८— जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
 - ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
 - १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
 - ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
 - १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
 - १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

(42)

उत्तर प्रदेश शासन
 नियुक्ति अनुभाग-3
 संख्या-629 / दो-3-2022
 लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अभिनव द्विवेदी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-कासगंज से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

3/6/2022
 (मदन सिंह गव्याल)
 विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़/मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 6— जिलाधिकारी, कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि श्री अभिनव द्विवेदी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अभिनव द्विवेदी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
 3/6/2022
 (मदन सिंह गव्याल)
 विशेष सचिव।

(43)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-631 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री संतबीर सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-बरेली से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली/लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 6— जिलाधिकारी, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि श्री संतबीर सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री संतबीर सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
23/6/2022
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

४९

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या-६३२ / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री मोहित यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-श्रावस्ती से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, लखनऊ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

२३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- ६— जिलाधिकारी, श्रावस्ती को इस आशय से प्रेषित कि श्री मोहित यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री मोहित यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, लखनऊ।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

५

उत्तर प्रदेश शासन
 नियुक्ति अनुभाग-३
 संख्या-६३४ / दो-३-२०२२
 लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अभिनव कुमार यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-उन्नाव से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, सीतापुर के पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

२३/६/२०२२
 (मदन सिंह गर्वाल)
 विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- ६— जिलाधिकारी, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित कि श्री अभिनव कुमार यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अभिनव कुमार यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, सीतापुर।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
 २३/६/२०२२
 (मदन सिंह गर्वाल)
 विशेष सचिव।

४६

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या-६३५ / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री प्रीती सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-फतेहपुर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, बाराबंकी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

३३/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
 - २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
 - ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
 - ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 - ५— आयुक्त, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज/अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
 - ६— जिलाधिकारी, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री प्रीती सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
 - ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री प्रीती सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 - ८— जिलाधिकारी, बाराबंकी।
 - ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
 - १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
 - ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
 - १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
 - १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
३३/६/२०२२
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

७८

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-३
संख्या-६३६ / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री नीलिमा यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-आगरा से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, कानपुर देहात के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा/कानपुर मण्डल, कानपुर।
- ६— जिलाधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री नीलिमा यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री नीलिमा यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

(48)

उत्तर प्रदेश शासन
 नियुक्ति अनुभाग-3
 संख्या-637 / दो-3-2022
 लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अखिलेश कुमार यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-प्रयागराज से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, बलिया के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/6/2022
 (मदन सिंह गर्वाल)
 विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज/आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- 6— जिलाधिकारी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि श्री अखिलेश कुमार यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली श्री अखिलेश कुमार यादव, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, बलिया।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
 23/6/2022
 (मदन सिंह गर्वाल)
 विशेष सचिव।

(40)

उत्तर प्रदेश शासन
 नियुक्ति अनुभाग-3
 संख्या—६३८ / दो—३—२०२२
 लखनऊ : दिनांक: २३ जून, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री नीतू रानी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-हाथरस से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, मथुरा के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

२— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

३— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

23/6/2022
 (मदन सिंह गर्वाल)
 विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- २— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- ३— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- ४— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५— आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़/आगरा मण्डल, आगरा।
- ६— जिलाधिकारी, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री नीतू रानी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- ७— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री नीतू रानी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ८— जिलाधिकारी, मथुरा।
- ९— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-३, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- १०— नियुक्ति अनुभाग-७/८
- ११— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- १२— विभागीय बैबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- १३— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
 23/6/2022
 (मदन सिंह गर्वाल)
 विशेष सचिव।

(52)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-639 / दो-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री शना अख्तर मंसूरी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-सुलतानपुर से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, जालौन के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या/झांसी मण्डल, झांसी।
- 6— जिलाधिकारी, सुलतानपुर को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री शना अख्तर मंसूरी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री शना अख्तर मंसूरी, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, जालौन।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(मदन सिंह गव्याल)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-640 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

५१

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री अंजलि सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद—अमरोहा से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, मैनपुरी के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

३३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद/आगरा मण्डल, आगरा।
- 6— जिलाधिकारी, अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री अंजलि सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री अंजलि सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, मैनपुरी।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय बेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
३३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

(52)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-3
संख्या-641 / दो-३-२०२२
लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सुश्री इला प्रकाश, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को जनहित में प्रशिक्षण हेतु वर्तमान तैनाती जनपद-लखीमपुर खीरी से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थानान्तरित करते हुए उपजिलाधिकारी, हापुड़ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2— उक्त अधिकारी तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि उक्त अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3— सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उक्त स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाये। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

* २३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2— प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री/अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ/मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 6— जिलाधिकारी, अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि सुश्री अंजलि सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 7— महानिदेशक, उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की तामीली सुश्री अंजलि सिंह, उपजिलाधिकारी, (परिवीक्षाधीन) को कराते हुए तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— जिलाधिकारी, मैनपुरी।
- 9— सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वे वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यमुक्त होते हुए नवीन तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को हार्ड कॉपी एवं E-mail ID-soappointment3@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10— नियुक्ति अनुभाग-7/8
- 11— सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 12— विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
२३/६/२०२२
(मदन सिंह गर्वाल)
विशेष सचिव।